## न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ आर0ए0एस0

**निगरानी प्रकरण सं0 34/2017**

1. ओमकार पुत्र श्री बृजलाल जाति जाट निवासी 31 जीजी ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर

निगरानीकर्ता

बनाम

1. श्रीमती शान्ति देवी पत्नी लाधुराम जाति जाट निवासी 31 जीजी ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर (मृतका) विधिक उत्तराधिकारी
1/1 लाधुराम पुत्र श्री सुखराम जाति जाट निवासी 31 जीजी ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर
1/2 ओमप्रकाश पुत्र लाधुराम जाति जाट निवासी 31 जीजी ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर
1/3 इन्द्राज पुत्र लाधुराम जाति जाट निवासी 31 जीजी ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर
1/4 बलविन्द्र पुत्र लाधुराम जाति जाट निवासी 31 जीजी ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर
1/5 निर्मला पुत्री लाधुराम जाति जाट निवासी 31 जीजी ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर
1/6 विमला देवी पुत्री लाधुराम जाति जाट निवासी 31 जीजी ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर
1/7 राधादेवी पुत्री लाधुराम जाति जाट निवासी 31 जीजी ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर
1/8 सुमित्रादेवी पुत्री लाधुराम जाति जाट निवासी गांव 31 जीजी ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर
1/9 शिमलादेवी पुत्री लाधुराम जाति जाट निवासी 31 जीजी ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. ग्राम पंचायत 31 जीजी ततारसर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत 31 जीजी ततारसर तहसील व पंचायत समिति श्रीगंगानगर

अप्रार्थी

**निगरानी विरूद्व आदेश दिनांक 28.01.1964 ग्राम पंचायत ततारसर जिसकी रूह से अहाता संख्या 398 अंकित करते हुए गलत रूप से अप्रार्थी संख्या 1 के हक में अप्रार्थी सख्या 02 द्वारा गलत रूप से आवंटन किया गया है को निरस्त करने बाबत।**

उपस्थित :–
1. श्री गुरचरण सिंह अधिवक्ता निगरानीकर्ता
2. श्री कुलवन्त सिंह सन्धू अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता

**:: आदेश ::** **दिनांक: 18.07.2018**

हस्तगत निगरानी अदालत के समक्ष प्रस्तुत हुई, जिसके सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि ''निगरानीधीन आदेश बिना क्षेत्राधिकार गैर कानूनी रूप से एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत एक पक्षीय तौर पर पारित किया गया है,

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

क्योंकि उस समय अप्रार्थी सख्या 1 शान्तिदेवी का पति अप्रार्थी सख्या 1/1 ग्राम पंचायत का मौजूदा सरपंच था जिसके द्वारा एक गुपचुप तरीके से पट्टा जारी कर स्वयं के पास रख रखा था जिसे कभी भी सार्वजनिक नहीं किया और अब गैर कानूनी पट्टा के आधार पर प्रार्थी को उसके कब्जा से व उसके अलॉटशुदा भूखण्ड से वंचित किया जा रहा है। इसलिये आवंटन दिनांक 28.01.1964 निरस्त किये जाने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा अप्रार्थी सख्या 01 के पक्ष में पट्टा दिनांक 28.01.1964 को जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत में पट्टा पत्रावली का संधारण नहीं किया गया और ना ही ग्राम पंचायत द्वारा किसी प्रकार की कोई मौका की रिपोर्ट तलब की गई। बिना किसी कानूनी प्रकिया को अपनाये ग्राम पंचायत के पट्टा रजिस्टर में गलत रूप से सरपंच द्वारा अपनी पत्नी के हक में अपने अधिकारों का दुरूपयोग करते हुए आबादी भूमि का विक्रय विलेख जारी कर लिया, मौका पर ना तो किसी प्रकार की नीलामी भूखण्ड संख्या 398 के सम्बन्ध में की गई और ना ही निलामी की कोई कार्यवाही पुष्टि करवायी गई औरना ही निलामी में प्राप्त राशि को पंचायत कोष में जमा करवाया गया। इस प्रकार बिना पंचायत अधिनियम के प्रावधानों का पालन करते हुए गलत रूप से अप्रार्थी संख्या 01 को उक्त भूखण्ड निलाम कर आवंटित कर दिया गया। अप्रार्थी संख्या 01 के हक में जो पट्टा उक्त दिनांक को जारी किया गया बताया गया है, जिसका अवलोकन करने से स्पष्ट है कि भूखण्ड सख्या 398 आबादी भूमि ततारसर में भूखण्ड का कोई भी साईज अंकित नहीं किया गया और ना ही भूखण्ड का नक्शा बनाकर ही प्रमाणित किया गया है और ना ही जारी आबादी भूमि के बैयनामा पर सरपंच व सचिव के हस्ताक्षर है और ना ही ऐसा कोई पृष्ठांकन पट्टा पर अंकित है कि आबादी भूमि के सम्बन्ध में एस.आर. कार्यालय से कोई बाजार मूल्य की सूचना मांगी गई हो। आबादी भूमि का बैयनामा दिनांक 28.01.1964 को काटा जाना बताया है जबकि उक्त भूमि तारीख 28.12.1963 को अप्रार्थी सख्या 1 द्वारा खरीद करना बताया गया है जो संदेह पैदा करता है कि उसी दिन राशि जमा नहीं करवायी गई। उक्त आवंटन की गई भूमि आवंटन योग्य थी या नहीं उस सम्बन्ध में भी कोई रिपोर्ट पट्टा पर अंकित नहीं की गई। निगरानीधीन आदेश बिना कानून की प्रकिया की पालना किये पारित किया गया है क्योंकि निगरानीधीन आदेश पारित करने से पूर्व में आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किया गया, कमेटी की रिपोर्ट तलब नहीं की गई, और ना ही कोई मौका मुआयना शुल्क ही जमा करवाया गया, और ना ही कोई एतराज प्राप्त किया गया, और ना ही ग्राम पंचायत में प्रस्ताव पारित किया गया और ना ही पट्टा पत्रावली का संधारण किया गया। अप्रार्थी सख्या 02 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किया गया आवंटन फर्जी है जो उस समय सरपंच अप्रार्थी संख्या 1/1 द्वारा अपने पद पर रहते हुए पद का दुरूपयोग करते हुए अपनी पत्नी के हक में किया गया है, मौका पर कभी भी विवादित जगह पर अप्रार्थी सख्या 1 या उसके देहान्त के बाद अप्रार्थी सख्या 1 के वारिसान मौका पर दिनांक 11.06.2017 रविवार की रात्रि लगभग 9.30 बजे उक्त सभी अप्रार्थीगण ने कृष्णलाल पुत्र लालचन्द, पृथ्वीराज पुत्र खिवसीराम उप सरपंच , सुल्तान राम पुत्र रूपराम , सुरेश पुत्र रणवीर , युधिष्टर पुत्र हीराम व 5–6 अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर प्रार्थी के उक्त निर्माण को तोड दिया । प्रार्थी द्वारा मौखिक रूप से पुलिस थाना चूनावढ में शिकायत दर्ज करवायी थी जिसके बाद दिनांक 21.07.2017 को लिखित प्रार्थना पत्र दिया था उसके बाद भी अप्रार्थी संख्या 1 के

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

वारिसान अन्य व्यक्तियों से मिलकर उक्त फर्जी पट्टा की आड में प्रार्थी के अलाटशुदा भूखण्ड 495 जो कि भूखण्ड सख्या 398 का भाग है के 40X50 फुट का मन्दिर बनाने के लिये दान करने या अन्य किसी व्यक्ति को मुन्तिकल करने की फिराक में है, मौका पर अप्रार्थी सख्या 1 के वारिसान द्वारा प्रार्थी को उसके भूखण्ड की जगह से जबरदस्ती बेदखल कर मन्दिर बनाने की कोशिश भी की जा रही है। इसलिये प्रार्थी पट्टा दिनांक 28.01.1964 से प्रथम दृष्टया प्रभावित व्यक्ति है और उसके पास इस भूखण्ड को निरस्त करवाने के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। अतः निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि आदेश दिनांक 28.01.1964 ग्राम पंचायत ततारसर जिसकी रूह से अहाता सख्या 398 अंकित करते हुए गलत रूप से अप्रार्थी संख्या 1 के हक में अप्रार्थी सख्या 02 द्वारा गलत रूप से आवंटन किया गया है को निरस्त फरमाया जाकर अप्रार्थी सख्या 1/1 पूर्व सरपंच के विरूद्व अपने पद के दुरूपयोग कर पत्नी के पक्ष में फर्जी पट्टा के सम्बन्ध में मुकदमा दर्ज करवाने के आदेश पारित किये जावें।

निगरानी से सबंधित मूल रेकार्ड ग्राम पंचायत से तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अनवानी प्रकरण में आबादी ततारसर का रिकॉर्ड दिनांक 28.01.1964 में पट्टा के सम्बन्ध में पत्रावली अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत नहीं की है जिसके अभाव में मै बहस नही कर सकता है। रिकॉर्ड मंगवाया गया। जो ग्राम पंचायत ततारसर के पत्रांक दिनांक 18.07.2018 से प्रस्तुत हुआ। अधिवक्ता निगरानीकर्ता को उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करवाया गया। उनकी बहस सुनी गई।

गैरनिगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी सख्या 01 के पक्ष में पट्टा दिनांक 28.01.1964 को जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत में पट्टा पूर्ण प्रक्रिया अपनाई जाकर विधिवत जारी किया गया है। भूखण्ड संख्या 398 पंचायत अधिनियम के प्रावधानों का पालन करते जारी किया गया बताया गया है। भूखण्ड सख्या 398 आबादी भूमि ततारसर में भूखण्ड के सम्बन्ध में कोई ऐतराज अंकित है। अतः अप्रार्थी सख्या 01 के पक्ष में आदेश दिनांक 28.01.1964 की पालना में जारी भूखण्ड सख्या 398 का पट्टा बहाल रखा जाकर निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज फरमाई जावें।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया गया।

प्रस्तुत रिकॉर्ड के साथ ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत ततारसर की रिपोर्ट दिनांक 18.07.2018 में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत ततारसर में श्रीमति शान्ति देवी पत्नी लाधुराम के नाम से अहाता नम्बर 398 दिनांक 29.01.1964 को सरपंच श्री लाधुराम ने पट्टा जारी किया है। विधि का सर्वमान्य सिद्वांत है कि अपने निजी मामले में कोई भी व्यक्ति स्वयं निर्णायक नहीं हो सकता। अप्रार्थी सख्या 1 शान्तिदेवी का पति अप्रार्थी सख्या 1/1 ग्राम पंचायत ततारसर के तत्कालीन मौजूदा सरपंच थे जिसके द्वारा दिनांक 28.01.1964 को अहाता संख्या 398 का पट्टा अपनी ही धर्मपत्नी के नाम जारी किया गया है जो विधिसम्मत् नहीं है। तत्कालीन सरपंच श्री लाधुराम द्वारा अपनी पत्नी के हक में अपने अधिकारों का दुरूपयोग करते हुए आबादी भूमि का विक्रय विलेख जारी किया है जो न्याय के सिद्वांतो के विपरीत है। प्रस्तुत रिकॉर्ड के आलोक में मौका पर ना तो किसी

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

प्रकार की नीलामी की कार्यवाही भूखण्ड संख्या 398 के सम्बन्ध में की जानी और तत्समय प्रवृत कानून के प्रावधानों के मुताबिक इस नीलामी की सक्षम स्तर से कोई पुष्टि करवायी जाना नहीं पाई गई। पंचायत अधिनियम के प्रावधानों की पालना न करते हुए गलत रूप से अप्रार्थी संख्या 01 को उक्त भूखण्ड नीलाम बताकर आवंटित कर दिया गया। पट्टे का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि भूखण्ड सख्या 398 आबादी भूमि ततारसर में भूखण्ड मूल नक्शे में बाद में चौक की जगह पर जरूरी किया गया है। उक्त पट्टे पर सरपंच व सचिव दोनो के हस्ताक्षर भी नहीं है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीधीन पट्टा ग्राम पंचायत ततारसर के अहाता नम्बर 398 दिनांक 28.01.1964 का विधि विरूद्व जारी होने के कारण निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति मय रेकॉर्ड ग्राम पंचायत को पालनार्थ भिजवायी जावें।

आदेश आज दिनांक 18.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/7/18

(नखतदान बारहठ)
अति० जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्री गंगानगर